निर्णय न्यायालय श्री हीरालाल वर्मा आर ए एस
उप खण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा उद्घोषित
प्रकरण सं. 140/16 प्रा.पत्र
दायरा दिनांक :- 23.11.16
निर्णय दिनांक :- 9.6.17

उनवान

1- किशनलाल पुत्र रोडू जाति मीणा निवासी गुनगा
2- रामरतन पुत्र रोडू जाति मीणा निवासी गुनगा तह. छीपाबड़ौद

बनाम

1- कोशल्याबाई पुत्री धन्नालाल जाति मीणा
2- उर्मिला बाई पुत्री धन्नालाल जाति मीणा
3- चमेलीबाई पुत्री धन्नालाल जाति मीणा
4- नटीबाई पुत्री धन्नालाल जाति मीणा निवासी गुनगा तह. छीपा.
5- राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA

निर्णय दिनांक 9.6.17

उपस्थित अभिभाषक - 1- श्री हरमोहन मालव प्रार्थी
2- श्री ललित कुमार शर्मा, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के नाम. से इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम गुनगा तह. छीपाबड़ौद में स्थित आराजी ख.नं. 71 रकबा 1.15 बीघा, ख.नं. 361 रकबा 3.08 बीघा, ख.नं. 362 रकबा 1.03 बीघा, कुल कित्ता 3 रकबा 6.03 बीघा किशनगोपाल पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी गुनगा तह. छीपाबड़ौद के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त खातेदार किशनगोपाल का स्वर्गवास लगभग 75 वर्ष पूर्व हो चुका है। खातेदार किशनगोपाल के पुत्र कालू का भी स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार स्वर्गीय किशनगोपाल पुत्र नाथू के कोई वारिस नहीं है तथा कालू भी लावलद फौत हुआ है। इनकी आराजी लगभग 80-85 वर्षों से खातेदार किशनगोपाल के जीवनकाल

लगातार - 2

Scanned by CamScanner

से प्रार्थी क्र. 1 व 2 के पिता रोडू पुत्र मियाला जाति मीना निवासी तूमडा तह० छीपाबड़ौद के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी प्रार्थी क्र. 1 व 2 के पिता रोडू पुत्र मियाला जाति मीना निवासी तूमडा का स्वर्गवास लगभग 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। रोडू के स्वर्गवास होने के बाद से उक्त आराजी प्रार्थी क्र. 1 व 2 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी लगभग 80-85 वर्षो से प्रार्थी क्र. 1 व 2 के पिता रोडू के कब्जे काश्त मे निरन्तर चली आ रही थी तथा उक्त आराजी पर रोडू के स्वर्गवास के बाद से लगभग 40-45 वर्षो से प्रार्थी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर प्रार्थी क्र. 1 व 2 का कब्जा प्रतिकूल-धारा (एडवर्स पजेशन) हो चुका है और प्रार्थी क्र. 1 व 2 उक्त वर्णित आराजी का कानूनन खातेदार कृषक हो चुके है। प्रार्थी खातेदार कृषक घोषित कराने के अधिकारी है

आराजी ख०नं० 361, 362 में से कुछ आराजी सिंचाई नहर मे अवाप्त की गई है जिसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु उक्त स्वर्गीय खातेदार किशनगोपाल पुत्र नाथू जाति मीना निवासी तूमडा के फर्जी वारिसान अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 बनकर मुआवजा प्राप्त करना चाहते है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है उक्त स्वर्गीय खातेदार किशनगोपाल के कोई वारिस नही है अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 अवैधानिक तरीके से इन्तकाल अपने नाम खुलवाने पर उतारू है। प्रार्थी गण का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी गण के पक्ष मे विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हुई तो प्रार्थी गण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० कर अप्रार्थी गण को नोटिस समन तलब किया गया। अप्रार्थी गण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी गण ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम तूमडा सम्वत 2070-73 खाता नं. 15, पेश की गई। अप्रार्थी गण ने अपने पक्ष के समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डला बिलोती द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र किशनगोपाल, मृत्यु प्रमाण पत्र अम्बालाल, मृत्यु प्रमाण पत्र कालू पुत्र किशनगोपाल, नकल जमाबन्दी ग्राम तूमडा सम्वत 2070-73 खाता 15 पेश की गई। प्रार्थी गण द्वारा किशनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

4. यह कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजी लगभग 80–85 वर्षो से उक्त खातेदार किशनगोपाल के जीवनकाल से प्रार्थी नम्बर 1 व 2 के पिता रोडू पुत्र मियाला जाति मीना निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद के कब्जे काश्त मे चली

निरन्तर–––2पर

Scanned by CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम नूनड़ा की आराजी ख.नं. 71, 361, 362, कुल 3 किता रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि किशनगोपाल पुत्र नाथू के खातेदारी में दर्ज थी। किशनगोपाल लाऔलाद करीबन 75 वर्ष पूर्व फौत हुआ है उसके कोई वारिस नहीं है विवादित आराजी पर किशनलाल व रामरतन के पिता राडू का कब्जा किशनगोपाल के जीवन काल से चला आ रहा था। राडू के जीवन काल में राडू का कब्जा रहा व राडू के मरने के बाद प्रार्थी गण का कब्जा चला आ रहा है जिसे लगभग 45 वर्ष हो गये है किशनगोपाल खातेदार लाऔलाद फौत हुआ है अप्रार्थी गण उसके फर्जी वारिस बनकर उसका इन्तकाल खुलाने पर आमादा है अप्रार्थी गण धन्ना लाल को मृतक किशनगोपाल का वारिस बनाते है जबकि धन्नालाल नाम का किशनगोपाल के कोई पुत्र नहीं है किशन गोपाल ला औलाद फौत हुआ है उसका पुत्र कालू था जो किशनगोपाल के जीवन काल में ही फौत हो गया। जो सबूत साक्ष्य से बाद पत्र में साबित होंगे। अप्रार्थी गण फर्जी तरीके से इन्तकाल खुलवाकर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है विवादित आराजी ख.नं. 361, 362 लहसी बांध की नहर में अवाप्त की गई है जब यह आराजी अवाप्त हो चुकी व मुआवजे का चेक आकर अप्रार्थी गण ने फर्जी तरीके से प्राप्त कर लिया तो प्रार्थी गण को अपूरणीय क्षति होगी। अगर इन्होंने गलत तरीके से इन्तकाल खुलवा लिया या प्रार्थी गण को जबरन बल पूर्वक बेदखल कर दिया तो प्रार्थी गण को अपूरणीय क्षति होगी। ताफैसला बाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखी जावे। अप्रार्थी गण को पाबंद करे कि उक्त आराजी को फर्जी तरीके से अपने नाम इन्तकाल नहीं खुलवावे क्योंकि किशनगोपाल लाऔलाद था। और उसके धन्नालाल नाम की कोई औलाद नहीं थी।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी गण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा जो दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया था वह मन गढ़न्त है इन्होंने जो हमारे नाम नोटिस भेजा है उसमें अप्रार्थी गण के पिता का नाम धन्ना लाल लिखा है किशनगोपाल की मृत्यु 1988 में हुई है। इन्तकाल खुला हुआ है तस्दीक पर रोक लगाना चाहते है। इन्तकाल ग्राम उपरान्त भी खोला गया है यदि इनको इन्तकाल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो

लगातार - 4

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

तो सम्बन्धित न्यायालय / सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश करता हमारे पक्ष के नामान्तरण स्वीकृत कर ठीक प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज होना नितान्त आवश्यक है। हम ही एकमात्र किशन गोपाल के वारिस है।

प्रार्थी - इनका कथन कि धन्नालाल की पुत्रियों के नाम से नामांतरण भरा है। ग्राम पंचायत ने यह धन्नालाल की पुत्रियां बताकर आई है इस कारण से इनके पिता का नाम धन्नालाल मृत्यु पत्र में लिखा गया है। अगर यह धन्नालाल की पुत्रियां है तो क्या धन्नालाल किशनगोपाल का पुत्र था यह साबित नहीं है किशनगोपाल लावल्द था धन्नालाल नाम का उसके कोई पुत्र नहीं था।

वकील अप्रार्थी का कथन है कि अगर धन्नालाल किशनगोपाल का पुत्र नहीं था तो किसका पुत्र था, ग्राम पंचायत द्वारा दिये वारिस प्रमाण पत्र अनुसार धन्नालाल, किशनगोपाल का पुत्र था तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी धन्नालाल के पिता का नाम किशनगोपाल लिखा है अतः रा. खारिज फरमाई जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मूंडला संवत 2070-73 खाता नं. 15 के अनुसार किशनगोपाल पुत्र नाथू कौम मीणा सा. देह दर्ज है। ग्राम पंचायत मूंडला [illegible] के सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार किशनगोपाल की मृत्यु 16.9.1988 को होना बताया। किशन गोपाल के वारिस कालूलाल धन्नालाल पुत्र व कजोड़ीबाई पत्नी है। कालूलाल की शादी नहीं हुई एवं धन्नालाल व कालूलाल के उर्मिला बाई, कौशल्याबाई, नटीबाई, चन्दूबाई वारिस होना बताया है किशनगोपाल के पिता का नाम नाथू मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है धन्नालाल की के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर धन्नालाल की मृत्यु 3.5.1986 को होना दर्ज है धन्नालाल की माता का नाम कजोड़ीबाई व पिता का नाम धन्नालाल अंकित है कालूलाल की मृत्यु दिनांक 4.7.1985 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर [illegible] अंकित है इससे यह साबित होता है कि किशन गोपाल के दो पुत्र कालू व धन्नालाल थे धन्नालाल के वारिसान पाई गयी। अप्रार्थी [illegible] 5 है। प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी गण के पक्ष में दिखता नहीं है प्रार्थी गण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की भी सम्भावना नहीं है। प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

(५)

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner